

# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 19.09.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 19.09.2022 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
5.	प्रो० मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
7.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
8.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	सदस्य
9.	प्रो० डी.एन. सिंह	सदस्य
10.	प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
11.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
12.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
13.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ० आर.के. चौबे	सदस्य
15.	डॉ० एस.के. प्रजापति	सदस्य
16.	डॉ० बी.आर. रावटे	सदस्य
17.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.09.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.09.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के प्रस्ताव **Vision** एवं **Mission** पर विचार।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 03 आंगल एवं विदेशी भाषा विभाग के दो शोध ग्रंथ जमा करने हेतु विशेष अतिरिक्त समयावधि प्रदान करने पर विचार।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण एवं ऐसे अन्य सभी प्रकरण पर विचार हेतु अधिष्ठाताओं की बैठक आहुत की जाय। अधिष्ठातागण नियंत्रणाधीन विभागों से सुसंगत प्रकरणों की जानकारी प्राप्त कर लें एवं बैठक में ऐसे प्रकरणों को प्रस्तुत करते हुए यथोचित निर्णय लेते हुए अनुशंसायें प्रस्तुत करें।

विषय क्र. 04

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 05

महिमा गुरु चेयर प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हेतु पद के चिन्हान्कन संबंधी।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि भौतिकी विभाग से लिये गये पद को भौतिकी विभाग को लौटा दिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि महिमा गुरु चेयर के प्रोफेसर की नियमित नियुक्ति न होने तक चेयर का प्रभार विश्वविद्यालय के कला एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के विभागों से किसी प्रोफेसर को प्रदान किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार निर्णय की जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी प्रेषित की जाय।

### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01

गणित विभाग की अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि गणित विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा बैठक दिनांक 13.01.2022 के माध्यम से अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

अ.अ.वि.क्र.02

अध्ययन मण्डल भौतिकी विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि भौतिकी विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा बैठक दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से अनुशंसित पाठ्यक्रम बी.एससी. भौतिकी, बी.एसी. इलेक्ट्रॉनिक्स, एम.एससी भौतिकी एवं एम.एससी. इलेक्ट्रॉनिक्स का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

अ.अ.वि.क्र.03

अध्ययन मण्डल अंग्रेजी विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित बी.ए. इंग्लिश, एम.ए. इंग्लिश एवं प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

**अ.अ.वि.क्र.04 गणित विभाग की अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि गणित विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा बैठक दिनांक 16.08.2022 के माध्यम से अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

**अ.अ.वि.क्र.05 अध्ययन मण्डल विधि विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**


विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि विधि विभाग के "अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तावित एल.एल.एम. पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

**अ.अ.वि.क्र.06 सीयूईटी यूजी 2022 के संबंध में जारी कार्यालयीय ज्ञाप पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने कार्यालयीय ज्ञाप जारी किये जाने संबंधी सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

  
कुलदीप सिंह (कार्यवाहक) / सचिव

  
कुलपति / अध्यक्ष